कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

कमांक–758/दो–11–3/2024 बिलासपुर, दिनांक 04 **नवम्बर, 2026**

इस स्थापना में वाहन चालक (अनुसूचित जनजाति) (मुक्त) के 01 रिक्त पद की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन कमांक–4185/दो–11–3/2024, बिलासपुर, दिनांक 22–07–2026 के संदर्भ में चयन समिति द्वारा प्रेषित चयन सूची अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी को **"वाहन चालक (अनुसूचित जनजाति) (मुक्त)"** के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	नियुक्त पदनाम	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की गई
1	2	3	4	5
01	श्री रविन्द्र नेताम, पिता लीलाधर नेताम	ग्राम–सूती, पोस्ट–सरवानी, तह0–खरसिया, जिला–रायगढ़ पिन कोड–496661 (छ0ग0)	वाहन चालक	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)

नियुक्ति की शर्तें :–

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
2. परिवीक्षा काल में उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेय निरस्त माना जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी सेवाकाल में बिना अनुमति के किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे, और न ही वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन करेंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व कार्यालय को सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो, तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मिलान हेतु प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होंने

अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया गया है या कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

8. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जांच के अध्यधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

9. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. चयनित अभ्यर्थी को **दिनांक 25–11–2026** तक अनिवार्य रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा।

11. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला, बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।

12. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन S.L.P.(C) No. 19968/2022 द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होगी।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्रं0– 1884/दो–11–3/2024 बिलासपुर, दिनांक 04 **नवम्बर, 2026**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक–1931/तीन–18–29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12–03–2013 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. सहायक प्रोग्रामर, बिलासपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

5. श्री रविन्द्र नेताम, पिता श्री लीलाधर नेताम, पता– ग्राम सूती, पोस्ट सरवानी, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ0ग0) 496661

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)